

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1556] No. 1556] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 23, 2018/वैशाख 3, 1940

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 23, 2018/ VAISAKHA 3, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

का.आ. 1710(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित निम्नलिखित न्यायालय को, उक्त उपधारा के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों का शीघ्र विचारण करने का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है, अर्थात्-

सारणी

विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(2)
उत्तर प्रदेश राज्य

[फा. सं. 01/12/2009-सीएल-। (भाग-IV)]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

2342 GI/2018 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2018

S.O. 1710(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Allahabad hereby designates the following Court mentioned in column (1) of the Table below as Special Court for the purposes of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the said sub-section, namely:-

TABLE

Court (1)	Jurisdiction as Special Court (2)
9 th Court of Additional District and Sessions Judge, Kanpur Nagar.	State of Uttar Pradesh.

[F. No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)] K. V. R. MURTY, Jt. Secy.